RAD

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कारण बताओ नोटिस

क्रमांक 9652 / II-14-21/2016 बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर, 2017

प्रति,

श्री अविनाश मुराब, सहायक ग्रेड–एक
उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ **बिलासपुर.**
पता– आत्मज श्री शिव प्रसाद मुराब,
लिटिल फ्लावर स्कूल के पास,
लिंक रोड, टिकारी, गर्ग कम्पाउन्ड, **बैतूल (म.प्र.)**

विषय :– आपके विरूद्ध संस्थित की गई जांच में जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के अधिरोपण के संबंध में।

संदर्भः– रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 7420/दो–14–20/2016 दिनांक 06.09.2016.

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.10.2017 की प्रति संलग्न करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से संतुष्ट होने के उपरांत दोषी पाये जाने के फलस्वरूप आपको दण्डित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्पष्ट करें कि क्यों न आपको छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1966 के नियम–10 (IX) के अनुसार **''सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी''** की शास्ति से दण्डित किया जावे।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दण्ड/शास्ति अनंतिम है एवं इस संबंध में यदि आपके द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार उपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपना पक्ष यदि कोई हो, तो इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के **15 दिवस** के भीतर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 14.11.2016

(गौतम चौरड़िया)
रजिस्ट्रार जनरल–सह–
प्रशासनिक अधिकारी